

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

जासं, श्रावस्ती : नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विद पाक्सो) दिनेश सिंह ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्त ने बताया कि दो जुलाई 2017 को गिलौला क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी को गांव का ही प्रद्युम्न शाम सात बजे अपने पिता व भाई के सहयोग से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। विवेचना प्रचलित हुई। तमाम साक्ष्यों

अदालत से



के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विद पाक्सो) दिनेश सिंह ने किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने तमाम मौखिक अभिलेखीय साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य न्यायालय पर प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोपित प्रद्युम्न को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

उत्सोधान उप जिलाधिकारी महोदय जमुनहा तहसील
जनपद - झाबहरी

विषय - पानी पीने के आण / जाति सूचक गाले व गाले पीने के सम्बन्ध में

महोदय

सादर अवगत कराया जाता है कि आजादी के 73 साल बाद भी आज भी दलित/गरीबों को पानी पीने के लिए सक्करी/गैस सक्करी कार्यालय में आज भी मारा-पीटा जाता है। जाति सूचक पिंडित गोमती प्रसाद पुत्र सैवक, वालक पुत्र गोमती प्रसाद ग्राम पटना थाना मल्हीपुर तहसील जमुनहा जनपद झाबहरी में निवासी हैं। घटना दिनांक 8-9-2022 को जमुनहा तहसील में खाद्य रसद विभाग के कार्यालय में सिर्फ पानी पीने के आण विपक्षी राजेश सिंह, सफल इस्पेक्टर, विजेंद्र कुब्राण अन्य अज्ञात लोगों ने जाति सूचक आण मारा पीटा अण विषय में वकील गण मर्षि आ जाते लें उन्हे आरोपी गण जान से मारे देते। और उन्हे विपक्षी गणों के अपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है।

अतः उत्सोधान जी को अवगत कराते हुए यह गंज किया जाता है कि

- 1) विपक्षी गणों पर कार्रवाई करते हुए तुरंत निलंबित किया जाए।
- 2) पिंडित पर दर्ज फर्जी मुकदमा वापस लिया जाय।
- 3) पिंडित को सुरक्षा मुहैया कराया जाय।
- 4) समस्त आरोपी को विरफता कर जेल भेजा जाय।

नोट - अन्यथा 3 तीन दिन बाद मैं पूरे परिवार के साथ डीएम

कार्यालय पर चला प्रदर्शन की वाध्य होगा

दि० 12-9-2022
मा० 9621693887

पिंडित
गोमती प्रसाद पुत्र सैवक
पता - पटना थाना मल्हीपुर तहसील जमुनहा